ायालय, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

वाद सं०- 28 /2019

धारा-107 द०प्र०सं०

झारखण्ड सरकार बनाम राजकिशोर कुशवाहा वगै०

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
	अभिलेख सं०-एम 28 /2019, में द०प्र०सं० की धारा-107 के तहत थाना प्रभारी .... के अप्राथमिकी सं०- 05/19 दिनांक- 29/03/19 बुण्डू के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि बुण्डू थाना कांड सं०- 29/19 दिनांक 29/03/19 धारा 188 भा० द० वि० एवं 123 Represtetion of People Act 1951 लोक सभा चुनाव जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी। अतः मै बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय। अभिलेख तिथि 05/04/19 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित। 04/04/19 कार्यपालक दण्डाधिकारी , बुण्डू (राँची)। 04/04/19 कार्यपालक दण्डाधिकारी , बुण्डू (राँची)।	

...० एवं	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तरीख सहित
..05-19	अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। दिनांक 14-05-19 को रखें। [हस्ताक्षर] 03/05/19	
14-05-19	अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष अधिवक्ता हाजरी। दिनांक 25-05-19 को रखें। [हस्ताक्षर] 14/05/19	
25-05-19	अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष क्रमांक 02 उपस्थित क्रमांक 01 अधिवक्ता हाजरी। लोक सभा चुनाव 2019 शांति पूर्ण रूप से सम्पन्न हो गया है। अत: वाद से अभिलेख की कार्रवाई बन्द की जाती है। [हस्ताक्षर] 25/05/19	

Digitally signed by AJAY KUMAR SAW
Date: 2022.02.11 14:02:49 +05:30
Location: 10.93.79.5